नामांतरण

श्री गणेश राकेश कुमार ने जबकि जमाबन्दी में नाम राकेश है। अतः प्रार्थी का नाम राकेश कुमार पुत्र मोहनलाल किया जाना प्रस्तावित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक -

मुझे ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंसा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

6/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सेल सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

- आदेश -

दिनांक :- 1

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कोट	2075-78	208	राकेश पुत्र मोहनलाल	राकेश कुमार पुत्र मोहनलाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की सूचना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 6/12/21

पत्रांक :- राजस्व / 2020 / 1986

प्रति :-

1. तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को सूचनार्थ
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:24:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner